न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र संख्या 32 सन् 2023 निर्णय दिनांक 18.07.2023

सीताराम पुत्र गोपालाराम जाति जाट निवासी करेली बास तहसील राजगढ जिला चूरू।

– प्रार्थी

बनाम

होशियार सिह पुत्र गोपालराम तथाकथित गोद पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी करेली बास तहसील राजगढ जिला चूरू।

– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी. एक्ट 1956

उपस्थिति :–
श्री ताहिर खान, अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री ओमप्रकाश डांगी, अधिवक्ता – अप्रार्थी

–:निर्णय:–

प्रकरण में प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी पिटीशनर के खिलाफ एक दावा नं. 278/2012 अनवानी होशियारसिंह बनाम सीताराम आदि बाबत घोषणात्मक व चिरस्थाई निषेधाज्ञा का व साथ में स्थगन प्रार्थना पत्र सं. 312/12 अनवानी होशियार सिंह बनाम सीताराम आदि उपखण्ड अधिकारी राजगढ में चल रहा है। उक्त दावा की भूमि के सम्बन्ध में दूसरा दावा प्रार्थी द्वारा दावा सं. 249/212 अनवानी सीताराम बनाम होशियारसिंह आदि खाता विभाजन व चिर स्थाई निषेधाज्ञा का व साथ में स्थगन प्रार्थना पत्र सं. पेश कर रखा है जो कि अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ में जेरकार है। जिसमें आगामी तारीख 3.2.23 है। प्रतिवादी अप्रार्थी बहुत ही चालाक व होशियर व्यक्ति है जो पिछले दिनों गांव में छुट्टी आया हुआ था दिनाक 19.12.2022 को होशियार सिंह प्रार्थी को गांव में मिला ओर बोला तेरी अरजी सो कर लेना दोनों दावों का फैसला मेरे पक्ष में ही आयेगा उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ मेरे खास व्यक्ति है न्यायालय की कार्यवाही जैसे मैं चाहुंगा वैसी ही चलेगी नॉन पिटीशन होशियारसिंह रिश्ते में प्रार्थी का भाई लगता है जब से दिनाक 19.12.22 को अप्रार्थी होशियरसिंह ने प्रार्थी को गांव में यह कहा कि दावों का फैसला मेरे पक्ष में आयेगा उसके बाद से दावा में अदालत की कार्यवाही अप्रार्थी के मुताबिक ही चल रही है इसलिए प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि उक्त दोनों दावों में मुझ प्रार्थी को इन्साफ नहीं मिलेगा उक्त अधिकारी उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ के यहां अगर दावे चलेगा तो मुझ प्रार्थी को इन्साफ नहीं मिलेगा दावा का फैसला निश्चित रूप से अप्रार्थी होशियरसिंह के पक्ष में ही आयेगा प्रार्थी का बेटा शलेन्द्र गांव में रहता है तो माह दिसम्बर 2022 में अप्रार्थी होशियरसिंह ने शलेन्द्र को कहा कि छोरा तेरे बाप को कह देना क्यों दुख पा रहा है बहुत चला लिया दावा को एस.डी. ओ. साहब राजगढ मेरा खास व्यक्ति है दावा का फैसला मेरे पक्ष में ही आयेगा यह बात शलेन्द्र ने भी

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)

जिला कलक्टर

बताई कि पापा ताऊजी ऐसे बोल रहे थे। अप्रार्थी गांव में छुट्टी पर आया हुआ था तब प्रार्थी स्वयं को भी यही कहा कि दावा का फैसला मेरे पक्ष में आयेगा तुम मर्जी आये सो कर लेना उस रोज से प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अगर दावा सं. 249/2012 अनवानी सीताराम बनाम होशियार सिंह व दावा सं. 278/12 होशियार सिंह बनाम सीताराम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू में चल रहे है का निश्चित ही फैसला होशियार सिंह अप्रार्थी के पक्ष में होगा यानि प्रार्थी के खिलाफ होगा। अतः दावा सं. 249/2012 व दावा सं. 278/12 एवं स्थगन प्रा. पत्र 312/12 को उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ़ के न्यायालय से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

प्रकरण के प्राप्त होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी राजगढ से प्रकरण के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी मांगी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को बहस में कहा कि अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ में दावा नं. 278/2012 अनवानी होशियारसिंह बनाम सीताराम घोषणात्मक व चिरस्थाई निषेधाज्ञा का एवं दूसरा दावा सं. 249/212 अनवानी सीताराम बनाम होशियारसिंह आदि खाता विभाजन व चिर स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। अप्रार्थी होशियारसिंह ने प्रार्थी के बेटे शलेन्द्र को माह दिसम्बर 2022 में मिला तो कहा कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में जो दावे चल रहे है उनका फैसला मेरे पक्ष में ही आयेगा क्यों कि एस.डी.ओ. साहब राजगढ मेरा खास व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय के ऑर्डर शीट से भी यह साबित होता है कि एस.डी.ओ. साहब उक्त दावों में शीघ्रता करके लघु पेशी लगा रहें है जबकि ये दावें सन् 2012 से विचाराधीन है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अगर दावा सं. 249/2012 अनवानी सीताराम बनाम होशियार सिंह व दावा सं. 278/12 होशियार सिंह बनाम सीताराम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू में चल रहे है का निश्चित ही फैसला होशियार सिंह अप्रार्थी के पक्ष में होगा यानि प्रार्थी के खिलाफ होगा। अतः दावा सं. 249/2012 व दावा सं. 278/12 एवं स्थगन प्रा. पत्र 312/12 को उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ़ के न्यायालय से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ़ में विचाराधीन दावों में पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सुनवाई की जा रही है। उक्त दावे सन् 2012 से विचाराधीन है एवं प्रार्थी ने इन दावों में देरी की नियत से स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डर शीट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को साक्ष्य हेतु मार्च 2022 में मौका दिया गया, उसके बाद नवम्बर 2022 में फिर मौका दिया गया एवं 13.01.2023 को पुनः एक अवसर और दिया गया है। न्यायालय की ऑर्डर शीट से ही यह साबित है कि प्रकरण में प्रार्थी को विधिवत् मौका देकर ही न्यायिक कार्यवाही की जा रही है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप आधारहीन है। अतः प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र को खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से जो आरोप एस.डी.ओ. राजगढ़ पर लगाये है उनमें कोई ठोस

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चूरू

जिला कलक्टर

आधार नहीं है, किसी के बीच हुई वार्तालाप को आधार मानकर न्यायालय पर आरोप–प्रत्यारोपण करना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 16.11.2022 में प्रार्थी द्वारा जिरह हेतु समय लिया गया था, उसके बाद दिनांक 14.12.2022 को पुनः जिरह का समय लिया गया एवं दिनांक 13.01.2023 को प्रार्थी द्वारा पुनः जिरह नहीं करने पर न्यायालय द्वारा 500 रू. की कोस्ट पर पुनः एक अंतिम अवसर दिया गया। उक्त तीनों आदेशिकाओं में लगभग 1 माह का समय अन्तराल रखते हुए प्रार्थी को काफी समय दिया जाकर पेशियां तय की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा विधिवत् सुनवाई करते हुए प्रार्थी को साक्ष्य–जिरह का अवसर दिया जा रहा था। इसके अलावा पत्रावली पर अन्य कोई तथ्य अथवा दस्तावेज नहीं है जिससे की उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के यहां विचाराधीन प्रकरण वाद सं. 278/12 व 249/12 को स्थानान्तरित किया जाना उचित हो।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर, चूरू
जिला कलेक्टर
चूरू